

आदेश

अभियुक्त को 34 पुलिस ऐक्ट अन्तर्गत धारा दोषी पाते हुए एवं उसे 10 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अदा न करने पर अभियुक्त को 01 दिवस के कारावास का दण्ड दिया जाता है।

कार्यवाहियों के अवसान की तिथि 14.09.2019

पीठासीन अधिकारी
बरेली।